ई-निविदा सं. : आरबीआई/बेंगलूरु क्षेत्रीय कार्यालय/एचआरएमडी/1/25-26/ईटी/189 [खानपान सेवाओं के लिए निविदा]

उपर्युक्त निविदा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलूरु के सम्मेलन कक्ष (दूसरी मंजिल) में 10 जुलाई 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे बोली-पूर्व बैठक का आयोजन किया गया था ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नसूचित पदाधिकारियों और इच्छुक बोलीदाताओं/फर्मों ने बैठक में भाग लिया :

क्र.सं.	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पदाधिकारी का नाम और पदनाम**
1.	श्री एंटन पी सोलोमन, सहायक महाप्रबंधक (मासंप्रवि)
2.	श्री कपिल फालक, सहायक प्रबंधक (मासंप्रवि)

क्र.सं.	**बैठक में शामिल बोलीदाता/फर्में**
1.	मेसर्स स्मूर कैटरिंग सर्विसेज
2.	मेसर्स पैनोरमा इन्टरप्राइजेज

2. इच्छुक बोलीदाताओं के प्रश्नों के संबंध में बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, उनके सामने, नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं :

क्र.सं.	**प्रश्न**	**टिप्पणी**
1	क्या प्रतिधारण राशि अनिवार्य है ?	निविदा दस्तावेज में उल्लिखित संविदा मूल्य की कुल 5% राशि की वसूली होने तक प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से 5% की दर से प्रतिधारण राशि की वसूली की जाएगी । संविदा पूर्ण होने के बाद प्रतिधारण राशि जारी कर दी जाएगी ।
2	बोली लगाने के दौरान तकनीकी मुद्दों को कैसे हल करें ?	बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज के पृष्ठ 5 में उल्लिखित अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी गई थी।

3. उपर्युक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक बोलीदाताओं की सूचना के लिए जारी किए गए हैं । बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा होगा । इसलिए, इसे निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जाएगा । फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत किए जाने को बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा ।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
बेंगलूरु